

प्ररूप - 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

राजस्थान राज्य के 1-गंगानगर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिये निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में,

में घोषणा करता हूं कि—

श्री निहाल चन्द, वार्ड नं.03, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) के द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान— श्रीगंगानगर

तारीख— 23 मई, 2019

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

रिटर्निंग ऑफिसर

1- गंगानगर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, गंगानगर)

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the House of the People from the 1-Ganganagar(S.C.) Parliamentary Constituency in Rajasthan State.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961,

I declare that—

Shri **NIHAL CHAND**, Ward No. 03, Raisinghnagar, District Sri Ganganagar sponsored by **Bharatiya Janata Party** (name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place:- Sri Ganganagar

Date :- 23rd May, 2019


(Shivprasad M. Nakate)

Returning Officer

1- Ganganagar (SC) Parliamentary Constituency
(District Collector and District Magistrate, Ganganagar)